प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 461/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल सिंह पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. मुखराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 13.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 123/126 की कुल 1. 9300 हैक्ट व खाता स0 75/75 की कुल 1.7580 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादीया स0 2 ता 3 [illegible] है उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना [illegible] वह अपने पिता [illegible]यों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया स0 2 [illegible] 3 का कोई हक हि[illegible] नही है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी 2070–73 के

खाता स0 123/126 में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 123/126 की कुल 1.9300 हैक्ट व खाता स0 75/75 की कुल 1.7580 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही

मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 123/126 के प0न0 350/404 (121) के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25/1 की 0.2280 हैक, प0न0 352/397 (37) के किला न0 11/1 की 0.0110 हैक्ट, 12 की 0.0630 हैक्ट, 13/1 की 0.0410 हैक्ट, 18/1 की 0.0410 हैक्ट, 19 की 0.2530 हैक्ट, 20/1 की 0.0120 हैक्ट, 22/3 की 0.0640 हैक्ट, 23/5 की 0.0408 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदारक काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 461/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल सिंह पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. मुखराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 461 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 123/126 के प0न0 350/404 (121) के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25/1 की 0.2280 हैक, प0न0 352/397 (37) के किला न0 11/1 की 0.0110 हैक्ट, 12 की 0.0630 हैक्ट, 13/1 की 0.0410 हैक्ट, 18/1 की 0.0410 हैक्ट, 19 की 0.2530 हैक्ट, 20/1 की 0.0120 हैक्ट, 22/3 की 0.0640 हैक्ट, 23/5 की 0.0408 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदारक काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:24 IST
Reason: SelfAttested